

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ० सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

02 / 2025
09.01.2025

जरिये इन्द्रपाल मीना प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक

– प्रार्थी

बनाम

प्रो.श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा मै. भारद्वाज रेस्टोरेंट एंव गेस्ट हाऊस रिलायंस
पेट्रोल पम्प के सामने एन.एच.52 टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की
धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थित:-

- 1- पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
- 2- अप्रार्थी – स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 01.04.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 19.12.2024 को प्रवर्तन
अधिकारी निवाई द्वारा फर्म मै. भारद्वाज रेस्टोरेंट एंव गेस्ट हाऊस रिलायंस पेट्रोल पम्प के
सामने एन. एच.

52 निवाई की जाँच की गई। मौके पर फर्म व्यवसाय स्थल पर फर्म के मालिक श्री
सीताराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा उपस्थित पाये गये जिनकी उपस्थिति में जाँच एव
निरीक्षण कार्य किया गया। व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू श्रेणी
के गैस सिलेण्डर (मानकभार 14.2 K.G.) को व्यवसायी स्थल पर अवैध रूप से भण्डारण
तथा घरेलू एलपीजी का व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग किया जा रहा था। मौके पर 1
घरेलू श्रेणी का गैस सिलेण्डर मय भट्टी के साथ एवं एक सिलेण्डर रखे पाये गये। उक्त
सिलेण्डर के भण्डारण बाबत आवश्यक दस्तावेज मांगे गये जो मौके पर प्रस्तुत नहीं किये
गये। अतः घरेलू श्रेणी गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप
प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मौके पर जब्त किया गया एवं फर्द अभिग्रहण
तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।




जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र०सं०	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1.	802358	H.P.	14.2	15.9	24.00	8.100
2.	876353	H.P.	14.2	15.7	29.80	14.100
योग						22.2 K.G.

मौके पर 2 घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर रखे पाये गये जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 22.2 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए, उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे परोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 19.12.2024 को प्रवर्तन अधिकारी निवाई द्वारा फर्म मै. भारद्वाज रेस्टोरेट एवं गेस्ट हाउस रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने एन. एच. 52 निवाई की जाँच की गई। मौके पर फर्म व्यवसाय स्थल पर फर्म के मालिक श्री सीताराम शर्मा उपस्थित पाये गये जिनकी उपस्थिति में जाँच एवं निरीक्षण कार्य किया गया। व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर (मानकभार 14.2 K.G.) को व्यवसायी स्थल पर अवैध रूप से भण्डारण तथा घरेलू एलपीजी का व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग किया जा रहा था। मौके पर 1 घरेलू श्रेणी का गैस सिलेण्डर मय भट्टी के साथ एवं एक सिलेण्डर रखे पाये गये। उक्त सिलेण्डर के भण्डारण बाबत आवश्यक दस्तावेज मांगे गये जो मौके पर प्रस्तुत नहीं किय गये। अतः घरेलू श्रेणी गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मौके पर जब्त किया गया एवं फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर व्यवसायी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर (मानकभार 14.2 K.G.) को व्यवसायी स्थल पर अवैध रूप से भण्डारण तथा घरेलू एलपीजी का व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर रखे पाये गये जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों को जब्त किया गया एवं गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु मैसर्स प्रतीक गैस एजेन्सी निवाई के प्रतिनिधि श्री हेमराज कुमावत पुत्र श्री लल्लुराम कुमावत की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मागे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नहीं करे। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 22.2 Kg एलपीजी को आवश्यक




जिला कलेक्टर
टोक

वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है, जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि० 19.12.2024 के अनुसार प्रो.श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा मै. भारद्वाज रेस्टोरेंट एंव गेस्ट हाऊस रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने एन.एच.52 टोंक कि दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 02 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क०सं०	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1.	802358	H.P.	14.2	15.9	24.00	8.100
2.	876353	H.P.	14.2	15.7	29.80	14.100
योग						22.2 K.G.

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर मदनलाल, सीताराम तथा हेमराज के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनामे पर भी मदनलाल, सीताराम तथा हेमराज के हस्ताक्षर हैं तथा प्रतीक गैस एजेन्सी निवाई के प्रतिनिधि श्री हेमराज कुमावत के हस्ताक्षर हैं जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त कर दुरुपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 02 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 22.2 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सोम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक